

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

दिनांक-15वीं जुलाई 2021

Savitri Devi Fogla, Sunil Kumar,
Trivedi Parimal Fogla Kiran Trivedi,
Morhabadi Bodeya Road, Ranchi.

विषय:- मौजा-मोहराबादी, प्लॉट नं0-205, 1442, 1443, 1444, खाता नं0-90, वार्ड नं0-03, थाना-सदर, जिला-राँची में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-321 दिनांक-13.07.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित आवासीय भवन परिसर में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ सभी स्टेयरकेश लॉबियों में 150 MM डायामेटर वाल एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 36 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवन के चारों तरफ एक-एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय। राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग-अलग पाईप मेन का संस्थापन किया जाय।
6. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट एवं व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. भवन के सभी व्यावसायिक तलों को Addressable Type Smoke Detection एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
8. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. 900 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. 180 Lpm क्षमता का एक जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
12. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय। प्रस्तावित व्यावसायिक तलों के लिए अग्नि-सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त सीढ़ी का निर्माण किया जाय।

For PANCHRATNA PROMOTERS PRIVATE LIMITED

Prateek More

DIRECTOR

14. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
15. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
16. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
17. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
18. सभी स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
19. मेन इलेक्ट्रिकल पैनल/स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
20. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
21. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन के सभी स्टेयर में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
23. भवन के प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयर केश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर को संस्थापन किया जाय।
24. भवन में पाँचवे तल पर स्टेयरकेश लॉबी को Refuge Area के रूप में निर्मित किये जायें।
25. अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवन के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
26. बेसमेन्ट में जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
27. बेसमेन्ट में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर Partition दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
28. बेसमेन्ट में ए0सी0 प्लांट बिजली का ट्रांसफर्मर जिसे Positive Pressur उत्पन्न करने वाले किसी भी उपकरण का संस्थापन नहीं किया जाय।
29. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
30. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
31. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
32. भवनों के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
33. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5fdd851f54d7,
postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636df0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70
, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2021.07.15 12:55:40 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

For PANCHRATNA PROMOTERS PRIVATE LIMITED

Ratna More

DIRECTOR